Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding reconsiderations of the Re-Auction Act 2013 in Haryana.

श्री संजय भाटिया (**करनाल**): अध्यक्ष महोदय, जब 1947 में पार्टिशन हुआ तो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ । वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन पर पंजाब और हरियाणा के अंदर हजारों लोगों ने अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग-धंधे स्थापित कर लिए हैं । पिछली यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में पार्लियामेंट से एक ऐसा एक्ट पास करा दिया जिसमें उसको दुबारा से री-ऑक्शन करने का आर्डर दे दिया । आज पूरे हरियाणा के अंदर करोड़ों की लागत से शोरूम और फैक्ट्रियां बना लीं, उन जगहों की किराए की री-ऑक्शन हो रही है जबकि 2013 से एक्ट में प्रावधान था कि 10 से 15 प्रतिशत तक केवल सवा तीन साल के अंदर किराया बढ़ा सकते हैं । अगर किसी के बने बनाये शोरूम पर री-ऑक्शन करेंगे तो कई गुना ज्यादा किराया लेगा । मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।